लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
095/2021 (GCMS 2021/385)	24.08.2021	15.09.2021

अनवान

श्री नरेश ठक्कर पिता श्री धैर्य कुमार ठक्कर 1, श्रीराम कॉलोनी, प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 28.06.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 95/2021/(15.09)/949 दिनांक 24.08.2021 से लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 15.09.2021 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 15.09.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/सू.अ./2021/1426 दिनांक 07.09.2021 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री नरेश ठक्कर द्वारा चाही गयी सूचना आवेदन दिनांक 28.06.2021 की सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 928 दिनांक 12.07.2021 से उपलब्ध करा दी है। आवेदक को दी गयी सूचना के पत्र की प्रति संलग्न है।

(तारा चन्द मीणा)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

1. जनवरी 2021 से जून 2021 तक नगर विकास न्यास द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को किसी भी सड़क का हस्तान्तरण नहीं किया गया है।

2. हस्तान्तरण नहीं होने से किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

3. सड़के स्थानान्तरित करने के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।

अपील अपीलार्थी निरस्त योग्य है।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/सू.अ./2021/1426 दिनांक 07.09.2021 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/नविन्या/सू.अ./2021-22/928 दिनांक 12.072021 से प्रेषित की जा चुकी है तथा अपीलार्थी ने भी वांछित सूचना के संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया है।

चूंकि अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा, उसके द्वारा वांछित सूचना जरिये डाक प्रेषित कर दिए जाने से अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ को एवं अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 15.09.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(तारा चन्द मीणा) (I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official